न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—42 / 2017 / 223 (2017 / 00042)

1. गोविन्दसिंह पुत्र जवानसिंह, जाति रावत, निवासी गांव गोगेला पोस्ट बराखन, तह0 ब्यावर अब टाटगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती डोली देवी सरपंच, ग्राम पंचायत बराखन बहैसियत स्वंय और बहैसियत श्रीमती डोली देवी पत्नि बाबूसिंह, जाति रावत, निवासी बराखन, तह0 टाटगढ़, जिला अजमेर ।
2. दौलतसिंह पुत्र जवानसिंह, जाति रावत, निवासी गोगेला, तहसील टाटगढ़, जिला अजमेर ।
3. अर्जुनसिंह पुत्र राजुसिंह, जाति रावत, निवासी गोगेला, तहसील टाटगढ, जिला अजमेर ।
4. गुलाबसिंह पुत्र राजुसिंह, जाति रावत, निवासी गोगेला, तहसील टाटगढ, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर, दिनांक 18.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 8 / 2010.

उपस्थितः—

1. श्री ज्ञानचंद गदिया, वकील अपीलांट।
2. श्री गजेन्द्रसिंह राजावत, वकील रेस्पो0 संख्या 2.
3. वकील रेस्पो0 संख्या 1, 3 व 4 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 20.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट / वादी ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नंबर 187 / 881, 186 / 881, 278 व 280 वाके मौजा गोगेला एवं खसरा नंबर 42 व 65 वाके मौजा नेगडिया वादी की कब्जा काश्त की भूमियां है जिस पर वादी का बेरोकटोक कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादी संख्या 1 वर्तमान में ग्राम पंचायत बराखन के सरपंच पद पर है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने बदनियति से जानबूझकर हिदायत दी है कि वादी की उक्त खातेदारी की भूमियों पर सड़क निर्माण कार्य किया जावे । प्रतिवादी संख्या 1 ने गैर कानूनी तरीके से दिनांक 8.8.2009 को सड़क निर्माण कार्य करवाना आरंभ कर दिया है । अतः वाद वादी स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2016 द्वारा वादी / अपीलांट

का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 में पत्रावली प्रतिवादी संख्या 4 की तलबी में चल रही थी तो निर्णय पारित किये जाने से पूर्व सभी पक्षकारान की तलबी करवाई जाना आवश्यक व न्यायसंगत था किन्तु अधी0न्याया0 ने बिना किसी भी पक्षकार की साक्ष्य लिये, व ादी व वादी के अधिवक्ता को बिना सुने वाद को कैम्प में रखकर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि राजस्व कैम्प में केवल मात्र लोक अदालत की भावना से ही वे प्रकरण तय किये जा सकते है जो कि आपसी सहमती से हो, राजस्व कैम्पों में न तो तनकियात कायम की जाती है व न ही साक्ष्य ली जाती है व न ही बहस सुनी जाती है व न ही गुणावगुण पर तय किया जा सकता है किन्तु अधी0न्याया0 ने राजस्व लोक अदालत केम्प बराखन में बिना तलबी कराये व बिना वादी अथवा उसके अधिवक्ता को सुने व साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । वादग्रस्त आराजी बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने न तो प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया न ही कोई साक्ष्य दी जबकि वादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जिस बात् पत्रावली पर समस्त रिकार्ड मौजूद थे जिनका अधी0न्याया0 ने अवलोकन तक नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने वाद खारिज करने का यह आधार लिया है कि कैम्प के दिवस ही उपस्थिति लोगों व हल्का पटवारी व गिरदावर को मौका निरीक्षण किये जाने भेजा गया व उनकी जांच में यह पाया गया कि कोई निर्माणात नहीं है व खाली पड़ी है । जबकि हल्का पटवारी व गिरदावर से मौका निरीक्षण बाबत् वादी अथवा अन्य किसी भी पक्षकार ने अधी0न्याया0 ने मांग नही की थी । अधी0न्याया0 ने न्यायिक कार्यवाही न कर मनमाने रूप से राजस्व कैम्प में बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे वादी/अपीलांट को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को कैम्प बराखन में रखकर निर्णित किया है जिसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई थी जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी थी । दिनांक 4.7.2016 को अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर निर्णय की प्रमाणित प्रतियों हेतु आवेदन कर प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । प्रतिवादी द्वारा अपीलांट की भूमि पर किसी प्रकार का सड़क निर्माण नहीं किया जा रहा है । ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पत्रावली प्रतिवादी संख्या 4 की तलबी में नियत थी किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 की तलबी पूर्ण हुए बिना अधी0न्याया0 ने पत्रावली को कैम्प बराखन में रखकर निर्णित किया है । अपीलांट का कथन है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट को प्रकरण कैम्प में रखे जाने बाबत् कोई नोटिस नहीं दिया एवं न ही सूचित किया है तथा अपीलांट को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का भी अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को लोक अदालत में रखकर अपीलांट को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना केवल मात्र मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वाद के प्रतिवादी संख्या 4 की तलबी शेष रहते प्रकरण को कैम्प में रखकर निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कल्क्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 20.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर